



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(A Constitutional Body under Article 338 A of the Constitution of India)

6th Floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003

Website : www.ncst.nic.in, Toll Free No.1800117777

Inviting Expression of Interest (EoI)

भारत की स्वंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने के महत्त्वपूर्ण अवसर पर "आजादी के अमृत महोत्सव" के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने देश के विभिन्न प्रदेशों में जनजाति सम्बंधित विषयों के सन्दर्भ में व्यापक स्तर पर प्रचार – प्रसार व संवाद अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है।

आयोग के संवैधानिक अधिकार, कर्तव्यों तथा कार्यों के प्रति समाज के विभिन्न घटकों से प्रभावी संवाद (Effective Communication) स्थापित करने हेतु संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करना प्रस्तावित है।

विषय :- Organizational Communication

इस हेतु से उपरोक्त विषय पर अभिहस्तांकन करने के इच्छुक संस्थानों/संगठनों को अपनी रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) अवर सचिव, एनसीएसटी, नई दिल्ली को us@ncst.nic.in दिनांक 28/02/2022, सायं 6:00 बजे तक जमा करनी होगी। दूरभाष संख्या :- 011-24657271

रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) में कार्य का दायरा (Scope of Work), संदर्भ की शर्तें (ToR) सम्मिलित होनी चाहिए।